ई–मेल

निदेशालय,
गृह रक्षा,राजस्थान

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612592, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com Website
http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकःगृरमु / प्रशि / टी–1(पॉलिसी)2020–21 / 84727-69

दिनांकः 07/8/2020

स्थाई आदेश संख्या–15 / 2020

गृह रक्षा स्वयं सेवकों की पुनर्नियुक्ति (नवीनीकरण)

गृह रक्षा स्वयं सेवकों की सदस्यता नवीनीकरण / पुनर्नियुक्ति करने के सम्बन्ध में गृह रक्षा निदेशालय के परिपत्र 26392–437 दिनांक 18.10.2019 का अतिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1. पुनर्नियुक्ति आदेश राजस्थान गृह रक्षा नियमावली 1962 के नियम 8 के तहत नामांकित गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दलों के पुरूष / महिला स्वयं सेवकों पर प्रभावी होगा ।
2. गृह रक्षा नियम 1962 के नियम 8 (2) के तहत योग्य / पात्र गृह रक्षा स्वयं सेवकों की सदस्यता अवधि में प्रत्येक 5 वर्ष हेतु अधिवृद्वि कर पुनर्नियुक्ति दी जा सकेगी । सदस्य की नवीनीकरण अवधि 5 वर्ष तक बढाना आवश्यक नहीं है । योग्यता / वैध कारणों के आधार पर कम अवधि हेतु समयावधि वृद्वि का निर्णय भी लिया जा सकता है ।
3. ऐसे सभी स्वयं सेवक जिनकी सदस्यता अवधि समाप्त होने जा रही है, उनकी सूची 02 माह पूर्व सूचना पट्ट (Notice Board) पर चस्पा की जावें । सूची में स्वयं सेवक की जन्मतिथि भी अंकित की जावें । इसके अतिरिक्त सदस्य को मासिक सम्पर्क सभा के दौरान, दूरभाष, वाट्स एप एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिये अवगत कराने की व्यवस्था की जावे ।
4. गृह रक्षा संशोधन नियम 1962 के नियम 9 में संशोधन दिनांक 18.11.2019 के पश्चात् अब स्वयं सेवक को अधिकतम 55 वर्ष आयु सीमा तक ही पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है । 55 वर्ष की आयु सीमा के उपरांत किसी भी स्वयं सेवक का नामांकन अवैध होगा ।
5. स्वयं सेवक के 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने में एक वर्ष की अवधि अथवा कम समय शेष रहने पर पुनर्नियुक्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
6. स्वयं सेवक द्वारा सदस्यता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व मय आवश्यक दस्तावेजों के निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराया जायेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद मय दिनांक कार्यालय द्वारा संबंधित सदस्य को दी जानी अनिवार्य होगी । आवेदन पत्र का पत्र–प्राप्ति पंजिका में इन्द्राज किया जावेगा ।

7. पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं सेवक का विगत 5 वर्षो में राजकार्यो के प्रति प्रतिबद्वता, ड्यूटियों पर उपस्थिति, अनिवार्य प्रशिक्षण, मासिक सम्पर्क सभा में उपस्थिति, अन्य विभागीय गतिविधियों में सक्रियता, उत्तम अनुशासन एवं आचरण इत्यादि के आधार पर सदस्य का कार्य मूल्यांकन किया जावेंगा । उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी के लिए स्वयं सेवक के सेवाभिलेख में वार्षिक विवरण संधारित किया जायेगा ।

8. स्वयं सेवक द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र संलग्न **परिशिष्ट–अ** में पूर्ण, स्पष्ट एवं सही जानकारी भरकर प्रस्तुत किये जाने पर ही सदस्यता अवधि बढाये जाने पर विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र गृह रक्षा विभाग की वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards अथवा संबंधित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ।

9. **पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची –**

(i) मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र : मेडिकल बोर्ड या राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया। (संलग्न **परिशिष्ट– ब**)

(ii) व्यक्तिगत सूचना : सदस्यता एवं कर्तव्य निर्वहन सम्बन्धी विवरण। (**परिशिष्ट–स**)

(iii) चरित्र सत्यापन : संबंधित थाने से जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट । (विगत 5 वर्षो पर आधारित)

(iv) नामांकन फार्म (Nomination Form) मय नामांकित व्यक्ति की फोटो : कल्याण निधि/सामूहिक बीमा योजना हेतु ।

10. **स्वयं सेवक की सेवा वृद्वि के लिए योग्यताएँ /अयोग्यताएँ :–**

(i) ऐसे सदस्य, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जावेंगें ।

(ii) ऐसा कोई भी सदस्य, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक संतान हो, सेवा वृद्वि के लिए पात्र नहीं होगा । राज्य सरकार के संतान सम्बन्धी नियमों में अतनिर्हित शर्तो में कानूनी रूप से गणना योग्य मानी गई सन्तान होने पर अयोग्य नहीं माना जावेगा ।

(iii) शादीशुदा स्वयं सेवक के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र पेश करना अनिवार्य होगा ।

(iv) यदि किसी स्वयं सेवक के विरूद्व निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण अन्वेषणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन (under trial) है अथवा दोषसिद्व उपरांत सजा हो चुकी है, तो उस स्वयं सेवक को नवीनीकरण/पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा :–

(क) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो ।

(ख) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम,1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथा परिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो ।

(ग) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1958 (1956 का केंद्रीय अधिनियम सं. 104) में यथा परिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो ।

(ध) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्व ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है ।

(ड) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलितता हो ।

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलितता हो ।

(छ) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अतंर्वलितता हो ।

(ज) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता ।

(v) छोटे दंड (अर्थदण्ड,जुर्माना,हर्जाना) को अपात्रता का आधार नहीं माना जावेगा ।

(vi) ऐसे सदस्य जिनके विरूद्व जांच, कोर्ट केस (उपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त), अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है या स्वयं सेवक निलम्बित चल रहे है, ऐसे मामलों में प्रकरण महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जावेंगे। इन प्रकरणों में महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा ।

(vii) पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान सदस्य किसी कारणवश दुधर्टनाग्रस्त होने के कारण अस्थायी रूप से अक्षम होने की दशा में चिकित्साधिकारी की अनुशंषा पर सदस्यता समाप्त होने के एक माह पश्चात् तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करना संबंधित समादेष्टा के विवेकाधिकार में होगा । एक माह उपरांत ऐसे प्रकरणों में महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

(viii) सदस्य द्वारा भर्ती के समय अंकित जन्मतिथि के आधार पर ही पुनर्नियुक्ति प्रदान की जावेंगी। सेवा वृद्वि के समय जन्मतिथि में परिवर्तन अमान्य होगा ।

11. गृह रक्षा अधिनियम 1963 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत अनुशासनहीनता के लिए विगत 5 वर्षो में 02 या उससे अधिक बार तथा कुल सेवाकाल में 04 या उससे अधिक बार चेतावनी /नोटिस दिये जाने वाले प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

12. पुनर्नियुक्ति के पश्चात् सदस्य के उपरोक्त बिन्दु 10 के अनुरूप अयोग्य पाये जाने पर पुनः नामांकन आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

13. समस्त जिला कमाण्डेन्ट स्वयं सेवक की सदस्यता अवधि समाप्त होने के 15 दिवस पूर्व पुनर्नियुक्ति (नवीनीकरण) आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे । यह आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये एवं सदस्य को सूचित किया जाये।

14. ऐसे पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रकरण, जिन पर किसी कारणवश समय पर निर्णय नहीं लिया जा सका हो, के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य के साथ प्रकरण निदेशालय को प्रेषित कर पूर्वानुमति प्राप्त की जावे ।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ।

यह स्थायी आदेश दिनांक 07 अगस्त,2020 से प्रभावी होगा ।

07.8.2020

(राजीव दासोत,IPS)
महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति.महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. महानिरीक्षक,गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. वित्तिय सलाहकार, गृह रक्षा,राजस्थान, जयपुर ।
4. उप महासमादेष्टा, प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. सीनियर स्टाफ ऑफिसर, प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, मुख्यालय राजस्थान, जयपुर ।
7. उप समादेष्टा,गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान ।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
10. समस्त उप समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान ।
11. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
12. गार्ड पत्रावली ।

महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

परिशिष्ट'अ'

होमगार्ड्स नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवामे,

श्रीमान समादेष्टा/ गण समादेष्टा
गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/ सीमा गृह रक्षा दल
————————— (राज0)

विषयः– आगामी होमगार्डस सदस्यता अवधि मे विस्तार (नवीनीकरण) हेतु प्रार्थना–पत्र ।

महोदय,

मैं———————————पिता/पति———————————सदस्यसंख्या—————जन्म तिथि——————————आयु——————केन्द्र/उपकेन्द्र——————————निवेदन करता/करती हूँ कि, मेरी होमगार्डस की सदस्यता अवधि दिनांक ——————————को समाप्त होने जा रही है । अतः मेरी आगामी होमगार्डस सदस्यता अवधि मे दिनांक——————————से दिनांक——————————. तक विस्तार (नवीनीकरण) किये जाने की अनुकम्पा करे । साथ ही मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि, होमगार्डस नियमो/आदेशो के अन्तर्गत दायित्वो का निर्वाह पूर्ण निष्ठा पूर्वक से करूँगा/करूँगी ।

भवदीय

हस्ताक्षर : ——————————
नाम : ——————————
मोबाईल न0ः ——————————
पता :——————————

सलंग्नः– मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र/ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र , विगत नवीनीकरण आदेश / नियोजन इत्यादि का विवरण ।

केवल विभागीय/अर्द्व शासकीय कर्मचारियो के लिये

क्रमांक दिनांक

इस विभाग/कार्यालय द्वारा उक्त होमागार्डस सदस्य (कार्मिक) की डयूटी एंव प्रशिक्षण के लिये बुलाये जाने पर बिना आपति के कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर
नियोक्ता/अधिकारी मय मोहर ....
....

५

<u>प्रशिक्षण प्रभारी की टिप्पणी मय सिफारिश</u>

टिप्पणीः–

हस्ताक्षर प्रभारी

टिप्पणीः–

हस्ताक्षर कम्पनी कमाण्डर

समादेष्टा द्वारा होमगार्डस सदस्यता अवधि मे विस्तार (नवीनीकरण) किये जाने सम्बन्धी टिप्पणीः–

श्री ---------------पुत्र/पति श्री -------------सदस्य संख्या --------के आगामी होमगार्डस सदस्यता अवधि मे विस्तार (नवीनीकरण) दिनांक ---------से ---------तक प्रपत्र (ब) मे अंकित सिफारिश/अनुशंषा के आधार पर किया जाता है।

समादेष्टा
गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र,..........

<u>प्राप्ति रसीद</u>

श्री ----------------.सदस्य संख्या -------------.के आगामी होमगार्डस सदस्यता अवधि मे विस्तार (नवीनीकरण) किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया।

दिनांक-------------

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम एवं पद

<u>नोटः –होमगार्डस सदस्य को आवश्यक रूपसे जारी की जावे</u>

परिशिष्ट 'ब'

गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र

नाम—————————पिता का नाम —————————.बेल्ट नं0.————————जो गृह रक्षा स्वयं सेवक के लिए अभ्यर्थी है, का होम गार्डस के कर्तव्य पालना में बाधक निम्न शारीरिक विकृतियों को ध्यान में भली–भांति चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ।

1.	आखों का परीक्षण :		दूर	नजदीक
	(अ) दृष्टि	(a) Eye Sight	बांयी ऑख दांयी ऑख	
	(ब) रतौंधी	(b) Night Blindness		
	(स) रंग दृष्टि दोष	(c) Colour Blindness		
	(द) भैंगापन	(d) Squint		
2.	कान	(Ear)	दांया कान बांया कान	
3.	धुटने आपस में टकराना	(Knock Knee)		
4.	पैर समतल	(Flat Foot)		
5.	नसे फुली हुई होन	(Varicose Veins)		
6.	हकलाकर बोलना	(Stammering)		
7.	सामान्य मानसिक स्थिति	(Mental Condition)		
8.	सामान्य परीक्षण	(General Examination)	(BP/Pulse/Heart/Lungs)	
9.	अन्य कोई विकृति जो कर्तव्य पालन में बाधक हो	(Any Other Deformity)		
10.	Remarks			

अभ्यर्थी जिनके हस्ताक्षर निम्नांकित है, का सावधानीपूर्वक चिकित्सकीय परीक्षण करने के उपरांत होमगार्डस सदस्यता के लिये योग्य/अयोग्य पाया गया ।

Signature of Candidate

Place------------------
Date-------------------

Signature of the Govt.Medical Officer

Volunteer Photograph

Self Attested with belt no.

9/

नोट– स्वयं सेवक मेडिकल जांच के समय अपना परिचय पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना सुनिश्चित करें ।

परिशिष्ट–स

व्यक्तिगत सूचना, सदस्यता व कर्तव्य निर्वहन सम्बन्धी विवरण

1. नाम सदस्य : ______________________________
2. सदस्य संख्या : ______________________________
3. पिता/पति का नाम : ______________________________
4. जन्म दिनांक मय प्रमाण पत्र की फोटो प्रति (स्वयं सेवक के हस्ताक्षर युक्त) सलंग्न।
5. स्थाई /वर्तमान पता : ____
____
6. नियुक्ति आदेश कमांक——————————दिनांक:.——————————————

7.नियुक्ति दिनांक से अब तक किये गये नवीनीकरण का विवरण :–

क.सं.	आदेश कमांक/दिनांक	नवीनीकरण अवधि	
		कब से	कब तक

8. गत पांच वर्षो की गई डयूटियों का विवरण :–

नियोजन/डयूटी का नाम / अवधि तिथि	चुनाव डयूटियों का नाम / अवधि तिथि	कुल सम्पर्क परेड उपस्थितियॉ	प्राप्त प्रशिक्षण उपकेन्द्र/जिला स्तर का नाम / अवधि तिथि	प्राप्त कोर्सेज जिले से बाहर का विवरण

9. गत 05 वर्षो के दौरान दी गई सजा/चेतावनी का विवरण:–
10. गत 05 वर्षो के दौरान प्राप्त प्रशंसा–पत्र का विवरण:–

दिनांक :–

हस्ताक्षर होमगार्डस स्वंय सेवक

कार्यालय द्वारा भरवाया जाने वाला

9/ 10. क.सं. 01 से 09 तक अंकित विवरण का सम्बन्धित होमगार्डस प्रभारी (प्लाटून कमाण्डर/मुख्य आरक्षी) द्वारा कार्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाणीकरण किये जाने पर

हस्ताक्षर व दिनांक मय मोहर

हस्ताक्षर प्रभारी